छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)
रिट याचिका क्रमांक: 3198 / 2004

याचिकाकर्तागण:

1. शिवम् ट्रैक्टर्स,
   प्रतिनिधि द्वारा इसके स्वामी
   श्री सुरेन्द्र पटेल,
   पिता – श्री गिरधारी पटेल

2. सुरेन्द्र पटेल,
   पिता – श्री गिरधारी पटेल,
   आयु – लगभग 45 वर्ष,
   व्यवसाय – शिवम् ट्रैक्टर्स के स्वामी

3. गिरधारी पटेल,
   पिता – स्व. नित्यनंद पटेल,
   आयु – लगभग 70 वर्ष,
   पद – निदेशक, शिवम् ट्रैक्टर्स

   सभी तीनों याचिकाकर्ता निवासरत:
   शिवम् ट्रैक्टर्स, जगतपुर, घरघोड़ा रोड,
   तहसील – रायगढ़,
   जिला – रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादी:

अमर अग्रवाल,
पिता – श्री जगनलाल अग्रवाल,
आयु – लगभग 29 वर्ष,
व्यवसाय – व्यापारी,
निवासी – पत्थलगांव,
जिला – जशपुरनगर (छ.ग.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका, सर्टियोरारी, मैंडेमस, प्रोहिबिशन तथा अन्य उपयुक्त रिट या रिटों, निर्देश या निर्देशों, आदेश या आदेशों के निर्गमन हेतु:

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3198 / 2004

शिवम् ट्रैक्टर्स

एवं अन्य उत्तरवादी

बनाम

अमर अग्रवाल

आदेश

दिनांक : 12.5.2005

द्वारा श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका क्रमांक 3198 / 2004

शिवम् ट्रैक्टर्स
एवं अन्य उत्तरवादी
बनाम
अमर अग्रवाल

==

श्री आशीष गुप्ता, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता
श्री संजय अग्रवाल, उत्तरवादी की ओर से अधिवक्ता

==

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश
(दिनांक:12/05/2005)

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा पारित,

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर इस रिट याचिका द्वारा, याचिकाकर्ताओं, जो कि उत्तरवादी हैं, ने व्यवहार वाद क्र. 3-B/2004 में पारित दिनांक 24.2.2004 (अनुलग्नक पी-5) और 26.8.2004 (अनुलग्नक P-6) के आदेशों की वैधता और मान्यता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ आदेश VII नियम 10 के तहत दायर आवेदन और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत दायर आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य यह हैं कि वादी जो तहसील पत्थलगांव, वर्तमान जिला जशपुर (छ.ग.) का निवासी है, ने प्रतिवादियों के विरुद्ध ब्याज सहित 1,34,000/- रुपए की राशि की वसूली के लिए वाद दायर किया। वाद के अनुसार प्रतिवादियों ने ट्रैक्टर एजेंसी की सब-डीलरशिप लेने का प्रस्ताव रखा और वादी ने इसके लिए सहमति दे दी। उनके बीच प्रस्ताव और स्वीकृति पत्थलगांव में हुई और नियम व शर्तें तय हुईं। यह तय हुआ कि वादी द्वारा उत्तरवादी के पास एक लाख रुपये जमा किए

जाएंगे और वादी ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और उक्त राशि भेजने का आश्वासन दिया। इसके बाद वादी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पत्थलगांव में उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट तैयार कराया और यह प्रतिवादियों को 16.6.1998 को रायगढ़ में प्राप्त हुआ। ड्राफ्ट की पावती भी जारी की गई और फिर से आश्वासन दिया गया कि सब–डीलरशिप के संबंध में औपचारिकताएं बहुत जल्द पूरी कर ली जाएंगी। उक्त राशि प्राप्त होने के बाद चूंकि सब–डीलरशिप नहीं दी गई और राशि भी वापस नहीं की गई, वादी ने उपरोक्त राहत के लिए 21.4.2001 को जिला न्यायालय, रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में वाद दायर किया।

3. यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वाद दायर करने की तिथि पर तहसील पत्थलगांव रायगढ़ जिले में थी। यधपि, जब 02.10.2003 को जशपुर जिले का गठन किया गया तो यह तहसील पत्थलगांव जशपुर जिले के अधिकार क्षेत्र में आ गई और जशपुर जिले से संबंधित प्रकरणो को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के एक निश्चित आदेश के तहत जिला न्यायालय रायगढ़ से जिला न्यायालय जशपुर में स्थानांतरित कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रकरण में लिखित बयान 01.9.2003 को दाखिल किया गया। प्रकरण जिला न्यायालय जशपुर में स्थानांतरित होने के बाद प्रतिवादियों ने आदेश VII के तहत आवेदन दायर किया | नियम 10 को धारा 151 सि.प्र.सं के साथ पढ़ा जाए तो यह कहा गया है कि चूंकि वाद कारण रायगढ़ में उत्पन्न हुआ था, क्योंकि वादी के अनुसार ड्राफ्ट की रसीद प्रतिवादियों द्वारा 16.6.1998 को रायगढ़ में दी गई थी, इसलिए सि.प्र.सं की धारा 20 के उप्बंधो के अनुसार जिला न्यायालय रायगढ़ को ही इस वाद पर विचार करने का अधिकार होगा। इसलिए वाद उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वादी को वापस लौटा दिया जाना चाहिए या अधिकारीता के अभाव में इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस आवेदन को 24.2.2004 के विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसकी वैधता को प्रतिवादियों द्वारा चुनौती दी गई है।

5. वादपत्र की वापसी के संबंध में उपबंधन बहुत स्पष्ट हैं। यह उपबंधित है कि नियम 10A के उपबंधन के अधीन रहते हुए, वादपत्र को वाद के किसी भी चरण में उस न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस किया जाएगा जिसमें उसे संस्थित किया जाना चाहिए था। उपधारा (1) के स्पष्टीकरण द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय भी किसी वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात इस उपनियम के अधीन वादपत्र की वापसी का निर्देश दे सकता है। उपनियम 2 वादपत्र की वापसी के संबंध में एक प्रक्रिया बनाता है और यह उपबंधन किया गया है कि वादपत्र को वापस करते समय न्यायाधीश उस पर उसके प्रस्तुतीकरण और वापसी की तिथि, उसे प्रस्तुत करने वाले पक्ष का नाम और उसे वापस करने के कारणों का संक्षिप्त विवरण अंकित करेगा। नियम 10A न्यायालय को उस न्यायालय में उपस्थिति की तिथि निश्चित करने की शक्ति देता है जहां वादपत्र को वापस करने के पश्चात दायर किया जाना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. आदेश VII के उपनियम 10 के प्रावधानों के अवलोकन के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय तब तक वाद वापस नहीं कर सकता जब तक कि उसे यह निश्चित निष्कर्ष न मिल जाए कि वाद किसी अन्य न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए था। वाद केवल तभी वापस किया जा सकता है जब अधिकार क्षेत्र की कमी के बारे में निष्कर्ष वाद में लगाए गए आरोपों पर ही आधारित हो। लेकिन जहां निष्कर्ष प्रतिवाद के पश्चात तथा उत्तरवादी द्वारा आरोपित और स्थापित तथ्यों की सही स्थिति पर पहुंचा है, वहां वाद को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

7. वर्तमान प्रकरण में, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सब–डीलरशिप के संबंध में बातचीत पत्थलगांव में हुई थी और प्रतिवादियों का प्रस्ताव वहीं स्वीकार किया गया था। इन तथ्यों को प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में विवादित किया है। शिकायत के आरोपों के आधार पर, जशपुर के नए जिले के गठन से पहले, मुकदमा दायर करने का कारण रायगढ़ जिला न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, इसलिए, मुकदमा रायगढ़ में शुरू किया गया था। हालाँकि, जब तहसील पत्थलगांव को जशपुर जिले में शामिल किया गया था, तो इस जिले की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न होने वाले कार्रवाई के कारण के आधार पर प्रकरण जशपुर जिला न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

8. प्रकरण के इन तथ्यों और परिस्थितियों में, यह शिकायत सि.प्र.सं के आदेश VII नियम 10 के तहत उचित न्यायालय में प्रस्तुति के लिए वापस करने योग्य नहीं थी क्योंकि शिकायत के आरोपों के अनुसार कार्रवाई का कारण का एक हिस्सा उत्पन्न हुआ था पत्थलगांव जो अब जशपुर जिले के क्षेत्रीय अधिकारीता में आता है और इस न्यायालय की राय में, प्रतिवादियों द्वारा दायर इस आवेदन को खारिज करने में विचारण कोर्ट ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

9. प्रतिवादियों द्वारा सी.प्र.सं . के आदेश VI नियम 17 के तहत 26.8.2004 को एक और आवेदन दायर किया गया था। इस आवेदन के द्वारा प्रतिवादियों ने जशपुर नगर के न्यायालय की अधिकरीता के संबंध में दलीलों में संशोधन की मांग की। उत्तरवादी यह जोड़ना चाहते थे कि वास्तव में पूरा लेन–देन रायगढ़ में हुआ था और इसलिए, रायगढ़ के जिला न्यायालय के पास ही वर्तमान वाद पर विचार करने कीव अधिकरीता होगी और वाद को गलत तरीके से जिला न्यायालय, जशपुर नगर में केवल इस आधार पर स्थानांतरित कर दिया गया है कि वादी पत्थलगांव का निवासी है जिसे अब जशपुर जिले में शामिल कर लिया गया है। वास्तव में, जशपुर नगर के नए जिले के गठन और इस वाद को जिला न्यायालय, जशपुर में स्थानांतरित करने के बाद प्रतिवादियों ने रायगढ़ जिले के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले कार्रवाई के पूरे कारण के आधार पर जशपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चुनौती देते हुए संशोधन को शामिल करने की प्रार्थना की थी। इस आवेदन को विचारण कोर्ट ने दिनांक 26.8.2004 के विवादित आदेश के तहत केवल इस आधार पर खारिज कर दिया है कि सि.प्र.सं के आदेश VII नियम 10 के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर वाद को वापस करने से संबंधित आवेदन पहले ही खारिज कर दिया गया है, इसलिए, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाले संशोधन को अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय की राय में,विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश विधि के अनुरुप / विधी संगत नहीं है।

10. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी पक्षकार को अपनी दलीलों को ऐसे तरीके से और ऐसे नियमों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति दे सकता है जो न्यायसंगत हो, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकते हैं। यह आदेश VI सी.प्र.सं के नियम 17 के तहत

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दिया गया मुख्य प्रावधान है। इस नियम में एक प्रावधान यह भी जोड़ा गया है कि परीक्षण शुरू होने के बाद संशोधन के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंच जाए कि उचित तत्परता के बावजूद, पक्षकार परीक्षण शुरू होने से पहले प्रकरण को नहीं उठा सकता था।

11. आदेश VI के नियम 17 के मुख्य प्रावधान और साथ ही उपरोक्त नियम के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि आम तौर पर विचारण शुरू होने से पहले मांगे गए संशोधनों को अनुमति दी जानी चाहिए और बाद में भी इसे अनुमति दी जा सकती है यदि रिकॉर्ड पर यह दिखाई देता है कि जिस पक्षकार को विचारण शुरू होने से पहले प्रकरण उठाना चाहिए था, वह उचित परिश्रम के बावजूद ऐसा करने में विफल रहा है। विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त शब्द स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि बाद की घटना पर आधारित संशोधन कभी भी निषिद्ध नहीं है क्योंकि यह सच है कि बाद की घटना होने के कारण विचारण शुरू होने से पहले इसे उठाया नहीं जा सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. (2004) 6 एससीसी 415 में प्रतिवेदित पंकज व अन्य बनाम येलप्पा (मृत) के विधिक प्रतिनिधियो के माध्यम से, के प्रकरण का निराकरण करते हुवे सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि संशोधन की अनुमति वास्तव में न्याय के अंतिम उद्देश्य को पूरा करती है और आगे की वादबाजी से बचाती है तो उसे अनुमति दी जानी चाहिए। दलीलों में संशोधन की अनुमति देने या न देने के लिए कोई स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है। प्रत्येक प्रकरण प्रकरण की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है।

13. यदि हम वर्तमान प्रकरण की जांच करें तो यह प्रतीत होता है कि जशपुर के नए जिले के गठन और प्रकरण को जिला न्यायालय जशपुर में स्थानांतरित करने के बाद, उत्तरवादी यह दलील उठाते हुए संशोधन को शामिल करना चाहते हैं कि कार्रवाई का पूरा कारण वर्तमान रायगढ़ जिले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, इसलिए जिला न्यायालय जशपुर के पास वाद की सुनवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा। पहले प्रतिवादियों ने पत्थलगांव में किसी भी लेन-देन के होने से इनकार किया था और उनके अनुसार पूरा लेन-देन रायगढ़ में हुआ था, और उस समय पत्थलगांव भी रायगढ़ न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में शामिल था, इसलिए अधिकार क्षेत्र की चुनौती के बारे में ऐसी कोई दलील प्रतिवादियों द्वारा उठाए जाने की आवश्यकता नहीं थी। अब एक अनुवर्ती घटना

घटित होने के बाद, और तहसील पत्थलगांव को रायगढ़ जिले से बाहर कर दिया गया है और इसे जशपुर जिले में शामिल कर लिया गया है, उत्तरवादी इस संशोधन को शामिल करना चाहते हैं।

14. इस न्यायालय की राय में, विचारण कोर्ट ने ऐसे आवेदन को खारिज करके विधिक त्रुटि की है, जिसमें पत्थलगांव में कोई कार्रवाई का कारण उत्पन्न न होने के आधार पर नए सिविल जिले के गठन की बाद की घटना पर विचारण कोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाने के लिए संशोधन की प्रार्थना की गई है। वास्तव में, यह तथ्य का एक विवादित प्रश्न है, जिसका निर्णय केवल इस बिंदु पर एक मुद्दा तैयार करने और पक्षकारों को कार्रवाई के उक्त कारण के तथ्यात्मक पहलू के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने के बाद ही किया जा सकता है कि क्या इसका पूरा या कोई भाग पत्थलगांव में उत्पन्न हुआ है या नहीं। 26.8.2004 का आछेपित आदेश विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. परिणामस्वरूप, याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। दिनांक 24.2.2004 का पहला विवादित आदेश बरकरार रखा जाता है और दिनांक 26.8.2004 का दूसरा विवादित आदेश रद्द किया जाता है। लिखित कथन में संशोधन के लिए आवेदन स्वीकार किया जाता है। आज से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर आवश्यक संशोधन शामिल किया जाएगा। वाद वय्य के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Advocate Kokila Rakesh Sharma